न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व विभाजन वाद सं0–339 / 2015
सी.आई.एस. 574 / 2015

09-11-2022 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के द्वारा दिनांक–04.01.2020 अंतर्गत आदेश 22, नियम 4 एवं अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0–6 रुखिया देवी, पति– स्व0 बिहारी गोप की मृत्यु 31.07.2019 को हो चुकी है और वह अपने पीछे अपने एकमात्र पुत्र रामाश्रय यादव को छोड़ गई हैं एवं प्रतिवादी सं0–1 जीतन गोप की भी मृत्यु हो चुकी है और वह अपने पीछे अपने दो पुत्र श्रीनाथ गोप तथा श्री भगवान गोप को छोड़ गए हैं, जो उनके विधिक वारिसान भी हैं। अतः उपरोक्त दोनों प्रतिवादीगण प्रतिवादी सं0–6 एवं प्रतिवादी सं0–1 के नाम को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों को प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रस्तुत स्वत्व विभाजन वाद में प्रतिवादीगण को वादी के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है, पृष्ठांकित किए हैं।

वादी के आवेदन को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–04.01.2020 अंतर्गत आदेश 22, नियम 4 एवं अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही प्रतिवादी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त दोनों प्रतिवादीगण के नाम को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों को प्रतिवादी के रूप प्रतिस्थापित कर पृष्ठांकित करें। वाद दिनांक–20·12·22 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी